राजकीय महाविद्यालय जक्खिनी
वाराणसी
प्रवेश विवरणिका एवं आवेदन पत्र

1. महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की हार्डकापी निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 24 अगस्त 2021 तक कार्यालय में अवश्य जमा करेंगे | उक्त तिथि के पश्चात कोई प्रवेश आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा |
2. प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2021 तक होगी | इस तिथि के पश्चात महाविद्यालय में कोई भी प्रवेश सम्भव नहीं होगा |
3. पूर्ण रूप से पूरित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक आवश्यक है –
   - हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंकपत्रों एवं प्रमाण पत्रों की छायाप्रति | कृषि से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एफ 1 तथा एफ 2 दोनों अंकपत्रों की छायाप्रति लगायेंगे |
   - अंतिम विद्यालय / कॉलेज से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूलप्रति |
   - राज्य स्तरीय खेलकूद / एन०सी०सी० /स्काउट गाइड सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति |
   - यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा | (जो 2011 के बाद निर्गत होना चाहिए)
   - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/सैन्य पाल्य/विकलांग/राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी के आश्रित सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा |
   - EWS प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आनिवार्य है |
4. इंटरमीडिएट में केवल एक वर्ष का अन्तराल (गैप) अनुमन्य होगा | 1 वर्ष के अन्तराल वाले छात्रों को रू० 10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से हलफनामा देना होगा कि मैंने विगत वर्ष किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था |
5. स्नातक कला (बी०ए० प्रथम सेमेस्टर) एवं कृषि प्रथम वर्ष / B.Sc. (Ag.) प्रथम सेमेस्टर में मेरिट सूची के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा |
6. कला संकाय में निम्नलिखित 8 विषयों में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है |
   - i. भाषा संकाय :
     - a) हिन्दी
     - b) संस्कृत
     - c) अंग्रेजी
   - ii. कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय :
     - a) अर्थशास्त्र
     - b) इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक)
     - c) राजनीति विज्ञान
     - d) समाजशास्त्र
     - e) शारीरिक शिक्षा

बी०ए० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को उपर्युक्त संकाय में से एक संकाय से कम से कम दो विषय लेना अनिवार्य है | कुल तीन विषय का चयन करना है |

7. प्रवेश में आरक्षण की सुविधा उ०प्र० शासन के आदेशानुसार देय होगा |
   - अनुसूचित जाति – 21 प्रतिशत
   - अनुसूचित जन जाति – 2 प्रतिशत
   - अन्य पिछड़ा वर्ग – 27 प्रतिशत
   - नवीन निर्धारित प्रमाण पत्र के प्रारूप पर प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा |
   - सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देय होगा |

निम्नांकित श्रेणी के अभ्यार्थी कों क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण निम्नवत लागू होगा |

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए – 2 प्रतिशत सीट
- विकलांगों के लिए अधिकतम – 3 प्रतिशत सीट
- महिलाओं के लिए अधिकतम - 20 प्रतिशत सीट
- राजकीय महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित हेतु – 5 प्रतिशत सीट |

उपरोक्त के आलोक में तैयार कला संकाय/कृषि संकाय की मेरिट सूची के आधार पर ही प्रवेश सम्भव होगा |

8. <u>कृषि संकाय में प्रवेश सम्बन्धी नियम –</u>

(क) बी.एस.सी. (कृषि) प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु उन्ही अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने वर्ष 2020 अथवा 2021 की इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि अथवा विज्ञान वर्ग से संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो |

(ख) बी.एस.सी. (कृषि) प्रथम वर्ष में स्वीकृत सीट की कुल संख्या 60 हैं |

(ग) प्रवेश इंटर कृषि अथवा विज्ञान विषयों प्रश्नपत्रो के प्राप्तांको के योग के आधार पर प्रस्तुत योग्यता सूची के अनुसार किया जायेगा | विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण अभ्यर्थी के सूचकांकों की गणना इंटर कृषि के विषयों प्रश्नपत्रों के पूर्णांकों के सापेक्ष की जायेगी |

(घ) बी.एस.सी. (कृषि) प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आरक्षित एवं अनारक्षित प्रवेशार्थियों की मेरिट सूची वरिष्ठता क्रम में 01 सितम्बर 2021 को सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी | यदि मेरिट सूची में किसी प्रवेशार्थी को त्रुटि प्रतीत हो तो प्रवेशार्थी संशोधन हेतु तत्काल प्राचार्य को सप्रमाण अपनी आपत्ति दर्ज करायें |

प्रवेश प्रक्रिया – अनारक्षित संवर्ग की सीटों पर (वरीयता क्रम से) दिनांक 07/09/2021 को ही प्रवेश लिया जायेगा इसके लिए अर्ह छात्र प्रातः 10 बजे प्रातः से 2 बजे तक प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रवेश लें | अनारक्षित संवर्ग में सामान्य श्रेणी, EWS, विकलांग वर्ग एवं अन्य आश्रित श्रेणी के छात्रों का प्रवेश दिनांक 07/09/2021 को ही सम्पन्न हो जायेगा | अनारक्षित श्रेणी की सीट समाप्त हो जाने पर आरक्षित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) के प्रवेशार्थियों का प्रवेश दिनांक 08/09/2021 को समय 10 बजे से

2 बजे तक सुसम्पन्न होगा | प्रवेश तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले प्रवेशार्थियों का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा | क्षैतिज आरक्षण अपने संवर्ग में ही प्रदान किया जायेगा |

(ङ) अधिभार की गणना निम्नवत होगी –

(1) राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज जक्खिनी वाराणसी के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए : 15 अंक
(2) इंटरमीडिएट कृषि विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिए 30 अंक
(3) एन०सी०सी० – बी एवं सी प्रमाण पत्र धारक के लिए क्रमशः 3 एवं 5 अंक |
(4) स्काउट गाइड प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों एवं छात्राओं के लिए 2 अंक |
(5) राष्ट्रीय, राज्यस्तर, मंडलस्तर के खेलकूद में पुरस्कृत छात्रों के लिए क्रमशः 5,3 व 2 अंक
(6) कृषि विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को अधिकतम 30 अंक अधिभार देय होगा | राजकीय इंटर कॉलेज जक्खिनी से कृषि विषय में इंटर उत्तीर्ण छात्रों को अधिकतम 40 अंक अधिभार देय होगा |

9. कला संकाय में प्रवेश सम्बन्धी नियम -

(क) बी०ए० प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की मेरिट सूची 26 अगस्त 2021 को प्रवेश सम्बन्धी सूचनाओं सहित सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी | प्रवेश का कार्य 27 अगस्त 2021 से अंतिम तिथि शैक्षिक सत्र महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के अनुसार अंतिम दिनांक तक होगा |
(ख) राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज जक्खिनी वाराणसी से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 15 अंक अधिभार |
(ग) एन०सी०सी०- बी एवं सी प्रमाण पत्र धारक के लिए क्रमशः 3 एवं 5 अंक |
(घ) स्काउट गाइड प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों एवं छात्राओं के लिए 2 अंक |
(ङ) राष्ट्रीय राज्य स्तर मण्डल स्तर के खेलकूद में पुरस्कृत छात्रों के लिए क्रमशः 5,3 व 2 अंक

10. उ० प्र० स्टेट विश्वविद्यालय एक्ट 1973 की अनु 8 की धारा 45 के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्र–छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है |
11. प्रवेश सम्बन्धी अन्य नियमों की जानकारी प्रवेश मेरिट सूची के साथ सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी |